Present:- M.P.Yadava, Addl.S.J-IX, Katihar, Court No-10,
A.B.P.No. 795/2025, Korha P.S. Case No.- 124/2025
Robin Kumar Mahto VS. State of Bihar

न्यायालय– अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

जनपद– कटिहार (बिहार)

A.B.P.No. 795/2026
Korha P.S. Case No.- 124/2025

1. राबिन कुमार महतो पिता रामलखन महतो, उम्र त0 36 वर्ष,
निवासी ग्राम– राजीगंज, थाना– कोढा,
जिला– कटिहार.....आवेदक।

बनाम

बिहार सरकार .....अभियोजन।

अभियोजन की ओर विद्वान अधिवक्ता अ0 लो0 अभि0 श्री सरदार यशवंत सिंह।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ताः श्री.....शिव सुन्दर सिंह।

उपस्थितिः– महेन्द्र प्रसाद यादव, अपर सत्र न्यायाधीश, नवम्, कटिहार।

दिनांक– 25.06.2026 आदेश

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अभियुक्त राबिन कुमार महतो की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सुन्दर सिंह द्वारा दिनांक 30.05.2026 को नवीन वकालतनामा के साथ दाखिल की गयी है। जमानत आवेदन की प्रतिलिपि विद्वान अपर लोक अभियोजक को उपलब्ध करायी गयी है।
2. अभियोजन का संक्षिप्त केस यह है कि सूचक राम पुकार महतो पिता स्व0 भुदुन्गी महतो साकिन–रजीगंज, थाना–कोढा, जिला–कटिहार ने पुलिस अवर निरीक्षक मुफस्सिल थाना कटिहार ने परमानन्द कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक को के0एम0सी0एच0, कटिहार के इमरजेंशी वार्ड में अपना फर्दबयान दिया कि दिनांक 11.05.2025 को गांव में ही अरूण महतो के लड़की की शादी थी, उसी शादी में मेरा पुत्र लाल बहादुर महतो भी गया हुआ था। शादी में करीब 21:00 बजे मेरा पुत्र डी0जे0 के साथ ब्रहमपूजा कराने गया था। ब्रहमपूजा कराकर लौटने के क्रम में मेरे घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक मारूति लेकर सुमरित कुमार पिता वशिष्ट महतो, साकिन– रजीगंज, थाना–कोढा, जिला–कटिहार आया और डी0जे0 को साईड करने मेरे पुत्र को बोला। मेरा पुत्र बोला कि थोड़ी देर में साईड कर रहे हैं। इसी बात पर सुमरित कुमार ने मेरे पुत्र को गाली–गलौज एवं मारपीट फैट एवं लात घुस्से से करने लगा। मेरा पुत्र किसी तरह जान बचाकर घर अया तो इसी क्रम में सुमरित कुमार अपने साथ हथियार लेकर आया और साथ में बाबु लाल महतो, उम्र करीब 36 वर्ष पिता फूलचू महतो, 3. रविन कुमार महतो पिता रामलगन महतो, 4. भोला कुमार पिता पिन्टू कुमार, 5. दिलखुश कुमार, 6. मुन्ना महतो, 7. गुनिया देवी, 8. रिंकू देवी, 9. अमृत महतो पिता स्व0 बक्सीर महतो सभी साकिन रजीगंज थाना– कोढा, जिला– कटिहार को लेकर आया। मेरे घर में घुसकर लाठी एवं रॉड से सभी परिवार वालों को मारने लगे। इसी बीच सुमरित महतो ने मेरे घर के उपर दो हवाई फायरिंग कर दिया साथ में सभी लोग मेरे पुत्र लाल बहादुर महतो को बेरहमी से लाठी एवं रॉड से शरीर के विभिन्न जगहों पर प्रहार किया। बचाने गये तो मेरे छोटा पुत्र निरंजन महतो को भी मारा एवं मेरी पत्नी पूर्णि देवी को लाठी एवं रॉड से उलटा–उलटा कर मारा, जिससे मेरे पुत्र लालबहुदर महतो, रिंजन महतो एवं पत्नी पूर्णि देवी को काफी चोटें आई। मेरा पुत्र लाल बहादूर महतो बेहोश होकर दरवाजा के पास गिर गया तब हम सब परिवार वाले मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोढा लाये। कोढा के चिकित्सक द्वारा हायर सेन्टर रेफर कर दिया। दिनांक 13.05.2025 को श्रीराम इमरजेंसी हॉस्पिटल भागलपुर लेकर गये एवं भर्ती कराये। भागलपुर के चिकित्सकों द्वारा बेहतर ईलाज के लिए रेफर कर

दिया दिनांक 14.05.2024 को समय करीब 18:00 बजे कटिहार मेडिकल कॉलेज लेकर आये जहां ईलाज के क्रम में समय करीब 20:45 बजे चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। मेरा पुत्र निरंजन महतो का ईलाज कोढा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चल रहा है। मेरा दावा है कि 1. सुमरित कुमार पिता वशिष्ट महतो, 2. बाबू लाल महतो, पिता फूलचन महतो, 3. रबिन कुमार महतो पिता रामलगन महतो, 4. भोला कुमार पिता पिन्टू महतो, 5. दिलखुश कुमार पिता गजाधर महतो, 6. मुन्ना महतो पिता शकीचन्द्र महतो, 7. गोनिया देवी पति उदय लाल महतो, 8. रिंकु देवी पति स्व0 गजाधर महतो, 9. अमृत महतो पिता स्व0 वशिष्ट महतो सभी रजीगंज, थाना– कोढा, जिला–कटिहार के द्वारा लाठी एवं रॉड से मेरे पुत्र लाल बहादुर महतो पर प्रहार करने से मृत्यु हुई है।

3. अग्रिम जमानत के बिन्दु पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सुन्दर सिंह एवं विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री सरदार यशवंत सिंह को सुना।

4. आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शिव सुन्दर सिंह द्वारा कथन किया गया है कि आवेदक की ओर से यह गिरफ्तारी की आशंका से यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है। आवेदक की ओर से विद्वान सत्र न्यायालय, कटिहार अथवा मान्नीय उच्च न्यायालय, पटना में इसके पूर्व कोई अग्रिम जमानत आवेदन अथवा नियमित जमानत आवेदन दाखिल नहीं किया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक को शंका के आधार पर इस वाद में फंसाया गया है। आवेदक के विरूद्ध झूठा एवं मनगढन्त आरोप लगाया गया है। आवेदक स्थानीय तथा कानून का पालन करने वाला व्यक्ति है। जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने से उनके फरार होने की कोई संभावना नहीं है। आवेदक स्थानीय और सक्षम जमानतदार न्यायालय की संतुष्टि पर देने के लिए तैयार है। अतः न्यायहित में आवेदक को जमानत पर मुक्त करने की कृपा किया जाये।

5. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कथन किया है कि आवेदक के विरूद्ध लगाया गया आरोप गंभीर प्रकृति की है अतः यह जमानत का लाभ पाने के अधिकारी नहीं है।

6. उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे विदित है कि सूचक राम पुकार महतो के फर्दबयान के आधार पर आवेदक के विरूद्ध कोढा थाना कांड संख्या–124/2025 दिनांक 15.05.2025 भारतीय न्याय संहिता की धारा 126(2), 115(2), 118(1), 329(4), 109, 103(1) ,3(5) के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। आवेदक पर आरोप है कि शादी के अवसर पर डी0जे0 बाजा के साथ सूचक का पुत्र ब्रहमपूजा कराकर लौट रहा था। रास्ते में सूचक के घर से करीब 200 मीटर की दूरी पर एक मारूति लेकर सुमरित कुमार आया और डी0जे0 को साईड करने के लिए सूचक के पुत्र को बोला। सूचक का पुत्र बोला कि थोड़ी देर में साईड कर रहे हैं। इसी बात पर सुमरित कुमार ने सूचक के पुत्र को गाली–गलौज एवं मारपीट फैट एवं लात घुस्से से करने लगा। सूचक का पुत्र किसी तरह जान बचाकर घर आया तो इसी क्रम में सुमरित कुमार अपने साथ हथियार लेकर आया और साथ में बाबु लाल महतो, उम्र करीब 36 वर्ष पिता फूलचू महतो, 3. रविन कुमार महतो पिता रामलगन महतो, 4. भोला कुमार पिता पिन्टू कुमार, 5. दिलखुश कुमार, 6. मुन्ना महतो, 7. गुनिया देवी, 8. रिंकू देवी, 9. अमृत महतो पिता स्व0 बक्सीर महतो सभी साकिन रजीगंज थाना– कोढा, जिला– कटिहार आये तथा सूचक के घर में घुंसकर लाठी एवं रॉड से सभी परिवार वालों को मारने लगे। इसी बीच सुमरित महतो ने सूचक के घर के उपर दो हवाई फायरिंग कर दिया साथ में सभी लोग सूचक के पुत्र लाल बहादुर महतो को बेरहमी से लाठी एवं रॉड से शरीर के विभिन्न जगहों पर प्रहार किये। सूचक का छोटा पुत्र निरंजन महतो जब बचाने के लिए गया तो उसे भी मारा एवं सूचक की पत्नी पूर्णि देवी को लाठी एवं रॉड से उलटा–उलटा कर मारा, जिससे सूचक के पुत्र लाल बहादुर महतो, निरंजन महतो एवं पत्नी पूर्णि देवी को काफी चोटें आई। सूचक का पुत्र लाल बहादूर महतो बेहोश होकर दरवाजा के पास गिर गया तब सूचक सब परिवार मिलकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कोढा लाया कोढा के चिकित्सक द्वारा हायर सेन्टर रेफर कर दिया। दिनांक 13.05.2025 को श्रीराम इमरजेंसी हॉस्पिटल भागलपुर लेकर गये एवं भर्ती कराये। भागलपुर के चिकित्सकों द्वारा

बेहतर ईलाज के लिए रेफर कर दिया दिनांक 14.05.2024 को समय करीब 18:00 बजे कटिहार मेडिकल कॉलेज लेकर आये जहां ईलाज के क्रम में समय करीब 20:45 बजे चिकित्सकों द्वारा सूचक के पुत्र को मृत घोषित कर दिया गया। कांड दैनिकी के कंडिका 15, 16, 28, 35, 36, 37 में साक्षियों द्वारा प्राथमिकी आवेदन का समर्थन किया गया है तथा चिकित्सक की राय में *"Cause of death is Haemmoragic & Neuroginic Shock as a result of above injury caused by blunt object"* पाया गया हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा अनुसंधानोपरान्त आवेदक के विरूद्ध पूरक अनुसंधान जारी रखते हुए मामले के सहअभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र संख्या– 344/25 दिनांक 18.08.2025 भा0न्या0सं0 की धारा 126(2), 115(2), 118(2), 329(4), 109, 103(1), 3(5) के अंतर्गत आरोपित करते हुए न्यायालय में समर्पित किया गया है तथा आरोपित धाराओं में विद्वान मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी कटिहार द्वारा 23.09.2025 को अपराध का संज्ञान लिया गया है। आवेदक पर सहअभियुक्तों के साथ सूचक एवं उसके पुत्र के साथ मारपीट कर जख्मी किये जाने का आरोप है जिससे इलाज के क्रम में उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। आवेदक अन्य अभियुक्तों के साथ मिलकर सूचक के पुत्र लालबहादुर महतों की हत्या कारित किये जाने के सहअभियुक्त हैं।

7. इस प्रकार उपरोक्त संपूर्ण विवचेन एवं मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में आवेदक द्वारा किये गए कृत्य, अपराध की प्रकृति तथा उसकी गंभीरता एवं समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आवेदक को अग्रिम जमानत का हकदार नहीं पाता हूं, तद्नुसार आवेदक राबिन कुमार महतो द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत आवेदन दिनांक 30.05.2026 को न्यायहित में खारिज किया जाता हैं।

कार्यालय लिपिक आदेश की प्रति विद्वान विचारण न्यायालय को भेजें तथा अभिलेख नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

(महेन्द्र प्रसाद यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश–नवम्
कटिहार।

wecourtkatihar